"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 281] रायपुर, सोमवार, दिनांक 10 जुलाई 2017 — आषाढ़ 19 , शक 1939

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़
शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 जुलाई 2017

क्रमांक 02/चार/राष्ट्रपति चुनाव/2017/774. — राष्ट्रपति निर्वाचन-2017 के लिए भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 479/2017, दिनांक 10 जुलाई, 2017 एतद्‌द्वारा सर्व साधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

हस्ता./-

(डी. डी. सिंह)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, दिनांक 10 जुलाई, 2017 —— आषाढ़ 19, 1939 (शक)

अधिसूचना

सं. 479/2017:- यतः, भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2017 के संचालन के संबंध में राष्ट्रपतीय और उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम 1974, के नियम 7 के अधीन दिनांक 14 जून, 2017 को जारीअपनी अधिसूचना सं. 479/2017(2) के द्वारा मतदान का स्थान व निर्वाचकों का समूह, जो उन मतदान स्थलों पर मतदान करने का पात्र होगा, उनको अधिसूचित कर दिया है; और

यतः, उक्त अधिसूचना की टिप्पणी में मतदान की तारीख से 10 दिन पहले की सीमा उस रूप में निर्धारित की गई है, जिससे पहले कोई भी संसद सदस्य/विधान सभा सदस्य किसी विशेष परिस्थिति के कारण यदि उनके समूह के लिए अधिसूचित मतदान-स्थल के अलावा अन्य मतदान स्थल पर मतदान करना चाहता हो तो उसे निर्धारित प्रपत्र में भारत निर्वाचन आयोग को सीधे आवेदन करते हुए सूचित करना होगा; और

यतः, आयोग ने अत्यन्त तात्कालिक स्थिति के मामले में 10 दिन पूर्व सूचना की उपर्युक्त शर्त को उदार बनाने का निर्णय लिया है;

अतः, अब आयोग ने यह निर्णय लिया है कि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए आयोग में मतदान की तारीख से 10 दिन पूर्व की अवधि के पश्चात भी प्राप्त अनुरोध, यदि कोई है, तो आयोग द्वारा उस पर व्यक्तिगत मामले की स्थिति के आधार पर विचार किया जा सकता है और आयोग ऐसे संसद सदस्य/विधान सभा सदस्य को उनके समूह के लिए अधिसूचित स्थान के अलावा अन्य मतदान स्थल पर मतदान करने की अनुमति दे सकता है, यदि इस संबंध में आवश्यक व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध हो।

आदेश से,

(वरिन्दर कुमार)
प्रधान सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi -110001

New Delhi, Dated 10th July, 2017 — Ashadha 19, 1939 (Saka)

NOTIFICATION

No. 479/2017: - Whereas, the Election Commission of India, in connection with conduct of Presidential Election, 2017, has notified under Rule 7 of the Presidential and Vice-Presidential Elections Rules, 1974, vide its Notification No. 479/2017(2) dated 14th June, 2017, the Place of polling and Group of electors who will be entitled to vote at those places of poll; and

Whereas, in the Note to the said Notification, a limit of 10 days before the date of poll has been fixed, before which any Member of Parliament/Member of Legislative Assembly, on account of exigency for special circumstances, has to intimate if he desires to vote at place of polling other than the one notified for his/her group, by directly applying to the Election Commission of India in the prescribed format; and

Whereas, the Commission has decided to liberalise the above said stipulation of 10 days' prior intimation in case of extreme urgent situation;

Now, therefore, the Commission has decided that the requests for the aforesaid purpose, received in the Commission, even after 10 days before the date of poll, if any, may be considered by the Commission based upon the circumstances of individual case and allow such Member of Parliament/Member of Legislative Assembly to cast vote at place of polling other than the one notified for his/her group, if there is sufficient time available for making necessary arrangements in this regard.

By Order,

(VARINDER KUMAR)
PRINCIPAL SECRETARY

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.